

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
- 4- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक: 30 नवम्बर, 2021

विषय- ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों को वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से एल.ई.डी. लाईट लगाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-2176/33-3-2021-38/2021 दिनांक 12.11.2021 एवं पत्र संख्या-1066/33-3-2021-38/2021 दिनांक 02.07.2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों में एल.ई.डी. लाईट लगाए जाने हेतु निर्गत दिशा-निर्देश में बजाज, सिस्का, काम्टन, ओरिएण्ट, विप्रो, फिलिप्स, हैवेल्स, पैनासोनिक, सूर्या, हैलोनिक्स एवं एवरेडी मेक लाईटों को अनुमन्य किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त के अतिरिक्त पॉलीकैब इण्डिया लि0 एवं एच.पी.एल. इलेक्ट्रिक एण्ड पॉवर लि0 को भी इस हेतु अनुमन्य किया जाता है। शासनादेश की शेष नियम, शर्तें एवं Specifications यथावत् रहेंगे।

भवदीय,
Manoj 30.11.21
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उत्तर प्रदेश।
4. समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी(पं0), उत्तर प्रदेश।
5. समस्त ग्राम पंचायत पदाधिकारीगण, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Manoj
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।